(छ) आय या सम्पत्ति मानदण्ड-

निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री-

(क) ऐसे व्यक्ति जिनकी निरन्तर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय एक लाख रूपये या इससे अधिक हो या जिनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति हो।

(ख) श्रेणी एक, दो, तीन या पांच (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति जो आरक्षण के लाभ का आपात्र न हो किन्तु जिनकी अन्य स्रोतों से आय इतनी हो जो उन्हें ऊपर उप-श्रेणी (क) में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के भीतर लाती हो।

स्पष्टीकरण-इस श्रेणी के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(1) वेतन या कृषि भूमि से आय को मिलाया नहीं जायेगा,

(2) रूपये के अनुसार आय मानदण्ड प्रत्येक तीन वर्ष में उसके मूल्य परिवर्तन को ध्यान में रखकर उपान्तरित किया जायेगा। परन्तु यदि स्थिति की ऐसी मांग हो तो इसका अन्तराल कम भी हो सकता है।

आज्ञा से,
कात्तिका प्रसाद,
सचिव।

2- शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं नियुक्तियों में आरक्षण

संख्या 1807/15-10-94-15 (18)/94

प्रेषक,

डा0 सूर्य प्रसाद,
सचिव, उच्च शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-10 लखनऊ : दिनांक 10 मई, 1994

विषय : विश्वविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे निवेदन करने का निदेश हुआ है कि जिस प्रकार राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय की शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पदों की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा अनुमन्य की है, उसी प्रकार इन वर्गों के छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य की जाय।

2- अतः अनुरोध है कि आप कृपया शासन की उपर्युक्त नीति के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत के आरक्षण की सुविधा आगामी शिक्षा सत्र 1994-95 से ही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। इस हेतु विश्वविद्यालय के नियमों में यथावश्यक संशोधन कर सभी सहयुक्त/सम्बद्ध शिक्षा संस्थाओं को भी निर्देशित करना सुनिश्चित करें। कृपया जारी किये गये निर्देशों/आदेशों की प्रति सहित कृत कार्यवाही से शासन को भी एक माह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 सूर्य प्रसाद,
सचिव।

संख्या 1807(1)/15-10-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
डा0 सूर्य प्रसाद

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-10
संख्या : 2638/15-10-94-15(66)-89
लखनऊ : 20 जुलाई, 1994

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियमसंख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 28 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994

1- (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2- उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शिक्षण सत्र 1994-95 से, किसी विश्वविद्यालय, संस्थान,संघटक कालेज, संबद्ध कालेज या सहयुक्त कालेज में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए सीटों का निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायगा, अर्थात्:-

(क)	अनुसूचित जातियों	इक्कीस प्रतिशत
(ख)	अनुसूचित जनजातियों	दो प्रतिशत
(ग)	नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों	सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु जहां किसी विश्वविद्यालय ने ऊपर निर्दिष्ट श्रेणियों से भिन्न किसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की है, वहां ऐसे आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को उस श्रेणी में रखा जायगा जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरण के लिए यदि किसी पाठ्यक्रम में खिलाड़ियों के पक्ष में आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उसे आवश्यक समायोजन करके सम्बन्धित श्रेणी में, जिससे वह सम्बन्धित है, रखा जाएगा और इसी प्रकार यदि वह सामान्य श्रेणी का है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जायगा :

परन्तु यह और कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन किसी अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित स्थानों, यदिकोई हो, को इस पैराग्राफ के अधीन प्रतिशत की गणना करने के प्रयोजन के स्थानों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-इस आदेश के प्रयोजनों के लिए पद सामान्य श्रेणी का तात्पर्य पैराग्राफ-2 में निर्दिष्ट श्रेणियों से भिन्न श्रेणी से है।

3- यदि पैराग्राफ-2 के अधीन अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की सीट को भरने के लिए अनुसूचित जन-जाति के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसी सीट अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी।

4- पैराग्राफ-3 के अधीन रहते हुए, जहां पैराग्राफ 2 के अधीन आरक्षित सीटों में से कोई सीट पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है तो उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा भरा जाएगा।

स्पष्टीकरण-पैराग्राफ 3 और 4 के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अभ्यर्थी अपात्र नहीं होगा, यदि वह किसी प्रवेश परीक्षा में या प्रवेश से सम्बन्धित किसी प्रतिमानक के अधीन न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने में विफल रहता है।

5- यदि पैराग्राफ 2 में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई अभ्यर्थी योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ प्रवेश के लिए चयनित होता है तो उसे पैराग्राफ 2 के अधीन ऐसी श्रेणी के लिएआरक्षित सीटों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित-जनजननियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अध्यापकों को, जहां तक सम्भव हो, निष्पक्ष प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए प्रवेश समितियों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

8- जो कोई जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करने या उसके प्रयोजनों को विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो दोषसिद्ध होने पर कारावास से, जो तीन मास का हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से, दण्डनीय होगा।"

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-10
संख्या : 3509/15-10-94-15(66)-89
लखनऊ : 30 अगस्त, 1994

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) की धारा 28 की उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश देते हैं : अर्थात् :-

उत्तर प्रदेश, राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) आदेश, 1994

1- (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) आदेश, 1994 कहा जायेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

3. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण) आदेश, 1994 के पैराग्राफ 2 को, उसके उप-पैराग्राफ (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-पैराग्राफ (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैराग्राफ बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्

"(2) उप पैराग्राफ (1) में यथा उपबन्धित प्रदेश में आरक्षण शिक्षण सत्र 1994-95 के पूर्व किसी शिक्षण सत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिये किसी विश्वविद्यालय, संस्थान या ऐसे कालेज में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश किये जाने हैं, भी लागू होगा।"

आज्ञा से,
एम0 रामचन्द्रन,
सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-19
संख्या : 1751-15-19-94-3(58)/79
लखनऊ : दिनांक अक्टूबर 15, 1994

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियम तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974) द्वारा यथासंशोधित तथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 28 की उपधारा (5) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के आदेश, 1987 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित आदेश देते हैं :-

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1994

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह आदेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध या सहयुक्त या घटक महाविद्यालयों में शिक्षा की उपाधि के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1994 कहा जायगा।